दिनांक 22.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेशः

ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 713 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन पाउडर (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ 40 लाख रुपये), 01 मोबाइल फोन व 1180/– रूपये नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0,लखनऊ के निर्देशन एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम तसव्वर पुत्र हारुन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर, उसके कब्जे से 713 ग्राम अवैध स्मैक/ हेरोइन पाउडर (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ 40 लाख रुपये) बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता, जनपद सहारनपुर में मु0अ0सं0 231/2025 धारा 8/21(C)/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया कि उसके पास स्मैक पाउडर है, जिसे वह बरेली से लाने के लिये एक व्यक्ति ने उसे पैसो का एक बन्द पैकेट देकर झुमका चौराहा, बरेली भेजा था और कहा था कि वह यह पैकेट झुमका चौराहा में बने गेट के पास खड़ा हो जायेगा वहाँ एक व्यक्ति आकर उससे मिलेगा, जिसे यह पैसो का पैकेट दे देना और बदले मे वह एक स्मैक का पैकेट देगा । पैकेट लेकर नानौता आ जाना । इसके बाद वह नानौता आकर उस व्यक्ति का इन्तजार कर रहा था कि तभी आप लोगो ने मुझे पकड लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः–

1. तसव्वर पुत्र हारुन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय–

दिनांक–21.09.2025 समय 19.30 बजे स्थान–शामली–नानौता हाइवे से बून्दुगढ–गंगोह वाले मार्ग पर, पुलिया से 50 मीटर अन्दर थाना नानौता, जनपद सहारनपुर ।

कुल बरामदगी–

1. 713 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन पाउडर (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 01 करोड़ 40 लाख रुपये) ।
2. 01 अदद मोबाइल फोन
3. 1180/– रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ए.एन.टी.एफ. थाना सहारनपुर ।

1. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
2. है0का0 अश्वनी कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
3. आ0 शिवम चौधरी, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
4. आ0 सूरज देशवाल, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
5. आ0 नगेन्द्र यादव, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

सहयोगार्थ थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

कमिश्नरेट आगरा/थाना डौकी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बिक्री के 08 हजार रूपये नगद**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉक: 22.09.2025 को थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नरकाकर के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–सचिन 2–सियाराम 3–रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बिक्री के 08 हजार रूपये नगद, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना डौकी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सचिन निवासी बाबरपुर थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर, राजस्थान।

2—सियाराम निवासी दतौली खुर्द थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

3—रघुवीर निवासी बाबरपुर थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1—15 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—अवैध शस्त्र बिक्री के 08 हजार रूपये नगद।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत की चोरी के बीएसएनएल के कॉपर केबिल**
- **नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त हाइड्रा वाहन आदि बरामद**

दिनांक 22.09.2025 को थाना रकाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केसर होटल के पास से 08 अभियुक्तों 1—मो0फैसल 2—राघवेन्द्र कुमार 3—मो0वाहिद 4—मो0मुस्लिम 5—मो0शाहिद 6—आमिर 7—सागर 8—मो0असलम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत की चोरी के बीएसएनएल के कॉपर केबिल, नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त हाइड्रा वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20/21.09.2025 को थाना रकाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद केबिल आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0फैसल निवासी हारून चौक शैमपुर पिचैली चौक थाना प्लासा जनपद अररिया बिहार, हालपता बुआपुर शुक्र बाजार थाना कौसाम्बी आनन्द विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—राघवेन्द्र कुमार निवासी नंगला अजब थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद, हालपता आस्था कॉलोनी थाना छत्ता कमिश्नरेट आगरा।

3—मो0वाहिद निवासी ग्राम ककरूआ थाना प्लासी जनपद अररिया बिहार।

4—मो0मुस्लिम निवासी ग्राम राड़िया फरसाडांगी थाना जौकीहाट जनपद अररिया बिहार, हालपता बुआपुर शुक्र बाजार थाना कौसाम्बी आनन्द विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5—मो0शाहिद निवासी जनकपुर हड़वाह थाना जौकीहाट जनपद अररिया बिहार हालपता बुआपुर शुक्र बाजार थाना कौसाम्बी आनन्द विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद।

6—आमिर निवासी काकड़ कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

7—सागर निवासी मो0हाजी कॉलोनी थाना शास्त्री पार्क जनपद जयपुर राजस्थान।

8—मो0असलम निवासी कस्बा सकानू थाना अलापुर जनपद बदायूँ

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत की चोरी के बीएसएनएल के कॉपर केबिल।

2—नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त हाइड्रा वाहन आदि।

जनपद अयोध्या/थाना महराजगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 बैट्री**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 21.09.2025 को थाना महराजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टण्डौली क्रासिंग दिलासीगंज मार्ग नहर के पास से 04 अभियुक्तों 1— संदीप

2–संजू 3–फहीम 4–रिजवान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 बैट्री, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.09.2025 को थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त संजू के विरूद्ध जनपद बहराइच, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त फहीम के विरूद्ध जनपद बहराइच, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त रिजवान के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, हरदोई व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी सेक्टर एम–1 थाना आशियाना कमिश्नरेट लखनऊ।

2–संजू निवासी सेक्टर एम–1 थाना आशियाना कमिश्नरेट लखनऊ।

3–फहीम निवासी औरंगाबाद खालसा थाना आशियाना कमिश्नरेट लखनऊ।

4–रिजवान निवासी सण्डीला इमिलिया बाग थाना सण्डीला जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 24 बैट्री।

2–नगद रूपये।

3–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **900 ग्राम अवैध अफीम, 200 ग्राम अवैध स्मैक, 03 किलो 500 ग्राम कट पावर पाउडर**
- **माल ब्रिकी के 94 हजार रूपये नगद**
- **02 दो पहिया वाहन**
- **05 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 21/22.09.2025 की रात्रि थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना रेलवे ग्राउण्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1– साजिद 2– रेहान को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 900 ग्राम अवैध अफीम, 200 ग्राम अवैध स्मैक, 03 किलो 500 ग्राम कट पावर पाउडर, माल ब्रिकी के 94 हजार रूपये नगद, 02 दो पहिया वाहन, 05 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–साजिद निवासी मोहल्ला गढ़ी कस्बा शीशगढ़ जनपद बरेली हालपता–फाईक एक्लेव फेस–02 थाना बारादरी जनपद बरेली।

2–रेहान निवासी ग्राम जोखनपुर थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–900 ग्राम अवैध अफीम, 200 ग्राम अवैध स्मैक, 03 किलो 500 ग्राम कट पावर पाउडर।

2–माल ब्रिकी के 94 हजार रूपये नगद।

3–02 दो पहिया वाहन।

4–05 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना टिकैतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दीपू 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना फरिहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना फरिहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/404 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वृदांवन को आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना को0देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मो0वसीम 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/308/323/325 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अजीज 2–कल्लू 3–करीम को 10–10 वर्ष के कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————